न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. – 01/2018

प्रार्थी

मालाराम पुत्र चुन्नाराम, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम बस्तवा माताजी का बास, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. खेतु देवी पत्नी दीपाराम, निवासी ग्राम बस्तवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत बस्तवा, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
3. ग्राम पंचायत बस्तवा, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर जरिये सचिव।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.07.2017 बुक नं0 07, मिसल संख्या 02 जो ग्राम बस्तवा पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर द्वारा जारी किया गया को निरस्त करने बाबत्।

– – –

पंचायत निगरानी सं. – 02/2018

प्रार्थी

लाखाराम पुत्र दमाराम, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम बस्तवा माताजी का बास, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मगु देवी पत्नी सजाराम, जाति भील, निवासी ग्राम बस्तवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत बस्तवा, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
3. ग्राम पंचायत बस्तवा, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर जरिये सचिव।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.07.2017 बुक नं0 07, मिसल संख्या 01 जो ग्राम बस्तवा पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर द्वारा जारी किया गया को निरस्त करने बाबत्।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:05 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थिति :–</u>

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जसवन्त सुथार व शौकत अली उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।

–<u>आदेश</u> – दिनांक : **31.07.2019**

प्रार्थी अभिभाषकों ने यह दोनों पंचायत निगरानियाँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.07.2017 बुक नं0 07 मिसल संख्या 02 तथा पट्टा संख्या 01 दिनांक 20.07.2017 बुक नं0 07 मिसल संख्या 01 को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। दोनों में विवाद का बिन्दू एक समान होने से दोनों निगरानियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों निगरानियों में लगाई जावें। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बस्तवा पंचायत समिति बालेसर ने अप्रार्थी संख्या 1 का जारी पट्टे में कानून की अवहेलना कर विधि विरूद्ध एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को दोनों प्रकरणों में पट्टे जारी किये है। इससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा यह पंचायत निगरानियां प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री सिद्धार्थ परिहार ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत बस्तवा से प्राप्त किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 23.07.2019 सुनी गई।

प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत पंचायत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत बस्तवा पंचायत समिति बालेसर ने अप्रार्थी संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया गया है वह क्षेत्राधिकार, कानून के विपरीत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वहा मौके पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी का निरन्तर कब्जा व रहवास है तथा प्रार्थी क मकान बना हुआ है। जिसमें प्रार्थी व उसके पूर्वज कई वर्षो से मालिक काबिज है। वह उपभोग व उपयोग ले रहे है। प्रार्थी का कब्जा होने के बावजूद ग्राम पंचायत बस्तवा द्वारा बिना विधिवत् कार्यवाही किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 01 व 02 दिनांक 20.07.2017 को विधि विरूद्ध जारी कर दिये है।

प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा मिसल संख्या 01 व 02 दिनांक 20.07.2017 को जारी किया है। वह बिना क्षेत्राधिकार के जारी किया है। जो निरस्त योग्य होना बताया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के कब्जे को नजरअन्दाज करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बिना अधिकारिता के पट्टा जारी करने में गंभीर विधिक भूल की है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.07.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पर बिना विधिवत् कार्यवाही किये बिना आनन फानन में अमल में लायी गई है [illegible] अवधि गुजरने हुए ग्राम पंचायत द्वारा आनन फानन में बिना कब्जे [illegible] पक्ष में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Netra
Date: 2022.11.22 17:13:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत की आदेशिकाओं के पठन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना किये बिना अपेक्षित पट्टा जारी किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत की टिप्पणी दिनांक 05.07.2017 इस आशय कि '' आज मिसल पेश हुई। दो गवाह उपस्थित किये गये। बयान लेखबद्ध किये गये। राजस्थान पंचायती राज नियम 148/1996 की उपनियम 2 के तहत प्रपत्र 22 में आपत्तियों के आमंत्रण हेतु नोटिस जारी हो तथा मिसल एक माह पश्चात पेश हो। '' उक्त ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.07.2017 की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि सरपंच द्वारा आपत्तियों के आमंत्रण हेतु नोटिस जारी कर एक माह बाद पेश हो लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा एक माह की अवधि से पहले मिसल दिनांक 20.07.2017 को पेश हुई। इस प्रकार एक माह से पूर्व ही पट्टा जारी कर दिया।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा न तो पंचायती नियमों की पालना की गई। मात्र गवाहों के बयान के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नहीं होने के बावजूद पट्टा जारी कर दिया। जो निरस्त होने योग्य बताया।

अप्रार्थी संख्या 1 के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस शुरू करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कब्जासुदा मकान रहवासीय हेतु पट्टा हासिल करने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन करने पर ग्राम पंचायत ने दोनों प्रकरणों में मिसल संख्या 01 व 02 दिनांक 24.05.2017 को आवेदन–पत्र पेश करने पर कायम की गई। अप्रार्थी संख्या 01 ने आवेदन पत्र में यह अंकित किया है कि उक्त भू भाग पर उसका 100 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है और उस भूखण्ड पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण के तहत अनुदान प्राप्त करना बताया। अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदित भू–भाग के मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचो की कमेठी का गठन किया और दिनांक 05.06.2017 को कमेटी ने बताया कि निःशुल्क पट्टा जारी करने में कोई एतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 को विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत निगरानियों का भी अवलोकन किया इसके अलावा ग्राम पंचायत बस्तवा से अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टे से संबंधित मूल रेकर्ड का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत बस्तवा माताजी ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया है। नियम 158 में यह वर्णित है कि भूमियों का कमजोर वर्गो का आवंटन (1) पंचायत आबादियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों के सदस्यों को गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलागों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनमें गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दर पर आवंटित कर सकेगी। परन्तु राज्य सरकार ऐसी भूमियों की व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:05 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 ग्रामीण विकास योजना के तहत चयनित व्यक्ति है। चयनित व्यक्ति का निर्धारण वर्तमान में किस भू खण्ड पर काबिज रहता है। उसी का नाम उक्त सूची में अंकित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह

निर्माण हेतु सहायता राशि भी ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर द्वारा दिनांक 31.03.2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किया है।

प्रार्थी ने प्रस्तुत निगरानी के साथ अपना व अपने पूर्वजों का विवादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा बाबत् किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार मिसल कायम कर विधिवत् प्रक्रिया पूर्ण कर नियम 158 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण श्रीमती खेतूदेवी पत्नी दीपाराम तथा श्रीमती मगुदेवी पत्नी सजाराम को पट्टे जारी किये है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति है। प्रार्थी ने मुख्यतः इस आधार पर आपत्ति की है कि ग्राम पंचायत ने 05.07.2017 को आपत्ति आमंत्रण हेतु एक माह का नोटिस जारी किया और एक माह पूर्ण होने से पहले ही 20.07.2017 को पट्टा जारी करने का निर्णय पारित कर दिया। केवल इस तकनीकी त्रुटि के आधार पर पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतः पट्टा संख्या 01 व 02 के विरूद्ध प्रस्तुत पंचायत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। ग्राम पंचायत बस्तवा से प्राप्त मूल रेकर्ड के साथ निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत को प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:05 IST
Reason: SelfAttested